बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आदेश

संचिका–5/आ04–1011/2016 205 पटना, दिनांक– 24.3.17

श्री राजेन्द्र प्रसाद, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अरवल, सम्प्रति सेवानिवृत पता– ग्राम–ओबरा, पुराने पी0एच0ई0 के सामने, पोस्ट–ओबरा, जिला–औरंगाबाद के विरूद्व निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत जिला जल एवं स्वच्छता समिति अरवल द्वारा करपी प्रखंड के रामपुर चाय पंचायत में शौचालय निर्माण में अनियमित ढंग से भुगतान करने का मामला विभाग के संज्ञान में आया। उक्त आरोपों के आलोक में जांचोपरांत समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि श्री प्रसाद के विरूद्व लगाये गये आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित होते हैं तथा सरकारी सेवक के रूप में श्री प्रसाद का आचरण प्रतिकूल है। फलतः उनके विरूद्व आरोप प्रपत्र 'क' में आरोप गठित किया गया।

2. वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री प्रसाद के विरूद्व अभिकथित आरोपों के लिए श्री राजेन्द्र प्रसाद, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अरवल, सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्व बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के अधीन विभागीय कार्यवाही संस्थित की जाती है। एतदर्थ विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री सतीश चन्द्र मिश्र, मुख्य अभियंता (रूपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को जांच संचालन पदाधिकारी एवं श्री नारायण शंकर झा, कार्यपालक अभियंता (मो0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. आरोपित श्री प्रसाद आदेश प्राप्ति की तिथि से 10 कार्य दिवसों के भीतर, उस तिथि एवं उस समय पर, जो जांच संचालन पदाधिकारी इस निमित्त लिखित नोटिस द्वारा विनिर्दिष्ट करें अथवा उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट उस अतिरिक्त 10 दिनों से अनधिक समय के भीतर, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे तथा विनिर्दिष्ट आरोपों के संबंध में अपना लिखित बचाव बयान समर्पित करेंगे।

4. जांच संचालन पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि निर्धारित समय–सीमा के भीतर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध करायेंगे।

5. **आदेशः–** आदेश दिया जाता है कि इस आरोप की एक प्रति आरोप प्रपत्र 'क' के साथ श्री राजेन्द्र प्रसाद, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अरवल, सम्प्रति सेवानिवृत पता– ग्राम–ओबरा, पुराने पी0एच0ई0 के सामने, पोस्ट–ओबरा, जिला–औरंगाबाद/जांच संचालन पदाधिकारी, श्री सतीश चन्द्र मिश्र, मुख्य अभियंता (रूपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, श्री नारायण शंकर झा, कार्यपालक अभियंता (मो0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को दी जाय।

23.3.2017

(डी0पी0 सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–5/आ04–1011/2016– 205 पटना, दिनांक– 24.3.17

प्रतिलिपि:–आरोप पत्र की प्रति के साथ श्री राजेन्द्र प्रसाद, कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अरवल, सम्प्रति सेवानिवृत, पता– ग्राम–ओबरा, पुराने पी0एच0ई0 के सामने, पोस्ट–ओबरा, जिला–औरंगाबाद/श्री सतीश चन्द्र मिश्र, मुख्य अभियंता (रूपांकण), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी, श्री नारायण शंकर झा, कार्यपालक अभियंता, (मो0), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.3.2017

(डी0पी0 सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–5/आ04–1011/2016– 205 पटना, दिनांक– 24.3.17

प्रतिलिपि:–प्रधान सचिव के आप्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01 तथा आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.3.2017

(डी0पी0 सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

आरोप प्रपत्र 'क'

आरोपित पदाधिकारी का नाम	–	श्री राजेन्द्र प्रसाद,
पदनाम	–	तत्कालीन कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, अरवल सम्प्रति सेवानिवृत। पता– ग्राम–ओबरा, पुराने पी0एच0ई0 के सामने, पोस्ट–ओबरा, जिला–औरंगाबाद।
वेतनमान	–	(15,600–39,100/–)
प्रथम नियुक्ति की तिथि	–	08.02.1979
जन्म तिथि	–	20.10.1954
सेवानिवृत्ति की तिथि	–	31.10.2014
आरोप का वर्ष	–	वर्ष 2011–12 एवं 2012–13

आरोप

निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत जिला जल एवं स्वच्छता समिति, अरवल द्वारा करपी प्रखण्ड के रामपुर चाय पंचायत में घरेलू शौचालय निर्माण की जांच के क्रम में पाया गया कि विभिन्न स्वयं सेवीसंस्था एवं अन्य द्वारा कराये गये शौचालय निर्माण में से मात्र 115 अदद शौचालय ही जांच में निर्मित हैं एवं शेष घरेलू शौचालय अनिर्मित पाये गये हैं। इस निर्माण कार्य के विरूद्ध कुल 6,99,310/–(छः लाख निनान्बे हजार तीन सौ दस रूपये मात्र) रू0 के अनियमित भुगतान में आपने सहयोग किया है।

इस प्रकार आपके द्वारा बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता एवं बिहार वित्त नियमावली में निहित प्रावधान का उल्लंघन किया गया है, जिसके लिए आप प्रथमदृष्टया दोषी हैं।

(हस्ताक्षर) 22.3.2017

(डी0पी0 सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

साक्ष्य

1. क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय जांच दल के पत्रांक–786 दिनांक–23.06.2016 (अनुलग्नक सहित) की छायाप्रति संलग्न।

(हस्ताक्षर) 22.3.2017

(डी0पी0 सिंह)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव